लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *369
19 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

सकल घरेलू उत्पाद में वस्त्र क्षेत्र का योगदान

***369. श्री सु. वेंकटेशन:**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के सकल घरेलू उत्पाद में भारतीय वस्त्र और परिधान क्षेत्र के योगदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या नई पहल की जा रही है;

(ख) सरकार भारत को तकनीकी वस्त्रों का वैश्विक केन्द्र बनाने की योजना किस प्रकार बना रही है;

(ग) भारत के वस्त्र निर्यात को बढ़ाने और अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमरीका में व्यापार बाधाओं को दूर कर रही है और बेहतर बाजार पहुंच सुनिश्चित कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा वस्त्रों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत प्रस्तावित नए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री सु. वेंकटेशन द्वारा पूछे गए "सकल घरेलू उत्पाद में वस्त्र क्षेत्र के योगदान" के संबंध में दिनांक 19.08.2025 को पूछे गए लोक सभा के तारांकित प्रश्न संख्या *369 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): सरकार भारतीय वस्त्र और अपैरल क्षेत्र को बढ़ावा देने और इसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं/पहलों को लागू कर रही है। प्रमुख योजनाओं/पहलों में आधुनिक, एकीकृत, विश्व स्तरीय वस्त्र अवसंरचना बनाने के लिए पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं अपैरल (पीएम मित्र) पार्क योजना; बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा देने और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए एमएमएफ फैब्रिक, एमएमएफ अपैरल और तकनीकी वस्त्रों पर केंद्रित उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; अनुसंधान, नवाचार और विकास, संवर्धन और बाजार विकास पर केंद्रित राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन; मांग आधारित, नियोजन उन्मुख, कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए समर्थ योजना; रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2; हथकरघा क्षेत्र को आरंभ से अंत तक सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम शामिल हैं। वस्त्र मंत्रालय हथकरघा के संवर्धन के लिए रास्ट्रीट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम और व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना कार्यान्वित कर रहा है।

(ख): सरकार देश में एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पांच वर्ष की अवधि में 10,683 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के साथ वस्त्रों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को क्रियान्वित कर रही है, ताकि वस्त्र क्षेत्र को आकार और पैमाना हासिल करने और प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाया जा सके।

देश में तकनीकी वस्त्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, 2020-21 से 2025-26 तक की अवधि के लिए 1480 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम) की स्थापना की गई।

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का तकनीकी वस्त्र निर्यात 24,732.68 करोड़ रुपये रहा। पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में 15.53% की वृद्धि हुई।

(ग) और (घ): सरकार निर्यात निष्पादन की निरंतर निगरानी कर रही है तथा वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों और उद्योग संघों के परामर्श से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है।

अमेरिका और यूरोपीय संघ भारतीय वस्त्र उत्पादों के लिए प्रमुख बाजारो मे से एक हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, भारत का अमेरिका को हस्तशिल्प सहित कुल वस्त्र और परिधान निर्यात 10.94 अरब अमेरिकी डॉलर का था, जबकि यूरोपीय संघ और ब्रिटेन को इन उत्पादों का निर्यात क्रमशः 7.6 अरब अमेरिकी डॉलर और 2.16 अरब अमेरिकी डॉलर का था। भारत सरकार ने ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत में सक्रिय रूप से शामिल है।

सरकार, डीजीएफटी के माध्यम से, निर्यात उत्पाद में भौतिक रूप से शामिल इनपुट के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए अग्रिम प्राधिकार योजना चलाती है। वस्त्र उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सरकार शून्य दर वाले निर्यात के सिद्धांत को अपनाकर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु परिधान/वस्त्र और मेड-अप के लिए राज्य एवं केंद्रीय करों एवं शुल्कों में छूट (आरओएससीटीएल) योजना लागू कर रही है।इसके अलावा, आरओएससीटीएल योजना के अंतर्गत शामिल न होने वाले वस्त्र उत्पादों को अन्य उत्पादों के साथ-साथ निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों एवं करों में छूट (आरओडीटीईपी) के अंतर्गत कवर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सरकार निर्यात को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों आदि के आयोजन और उनमें भागीदारी के लिए विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों और व्यापार निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

मंत्रालय ने भारतीय वस्त्र मूल्य श्रृंखला की ताकत को प्रदर्शित करने, वस्त्र एवं फैशन उद्योग में नवीनतम प्रगति/नवाचारों पर प्रकाश डालने तथा वस्त्र क्षेत्र में सोर्सिंग और निवेश के लिए भारत को सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम अर्थात भारत टेक्स 2025 के आयोजन में निर्यात संवर्धन परिषदों/संघों को सहयोग दिया है।

भारत ने 15 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच हस्ताक्षरित सीईटीए भी शामिल है। इन एफटीए का उद्देश्य टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और संरचनात्मक मुद्दों का समाधान करके भारतीय निर्यातकों को साझेदार बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है।

(ङ): सरकार ने देश में एमएमएफ अपैरल, एमएमएफ फैब्रिक्स और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पांच साल की अवधि में 10,683 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय के साथ वस्त्रों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी है ताकि वस्त्र क्षेत्र को आकार और पैमाना हासिल करने और प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना के दो भाग हैं; भाग-1 में प्रति कंपनी न्यूनतम 300 करोड़ रुपये का निवेश और 600 करोड़ रुपये का न्यूनतम कारोबार की परिकल्पना की गई है; और भाग-2 में प्रति कंपनी न्यूनतम 100 करोड़ रुपये का निवेश और 200 करोड़ रुपये का न्यूनतम कारोबार की परिकल्पना की गई है। वित्त वर्ष: 2022-23 और वित्त वर्ष: 2023-24 इस योजना के तहत गर्भधारण अवधि (gestation periods) थीं। प्रदर्शन वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक हैं।

पीएलआई योजना के अंतर्गत, कंपनियों को निर्धारित निवेश और टर्नओवर सीमा प्राप्त करने तथा उसके बाद वृद्धिशील टर्नओवर प्राप्त करने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। योजना भाग-1 के अंतर्गत, पहले वर्ष में आवश्यक टर्नओवर प्राप्त करने पर 15% प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। योजना भाग-2 के अंतर्गत, पहले वर्ष में आवश्यक टर्नओवर प्राप्त करने पर 11% प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

*****